संख्याः 2595/38–7–2008–351एनआरईजीए/2008

प्रेषकः

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 दिनांकः 31 अक्टूबर, 2008

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ''सिंचाई समृद्धि'' परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 एवं दिशा निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी का सुनिश्चित एवं कारगर स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से **''सिंचाई समृद्धि''** परियोजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा निर्देश निम्नवत् होंगेः–

1. परियोजना का नाम :

इस योजना को ''सिंचाई समृद्धि'' परियोजना के नाम से क्रियान्वित किया जायेगा।

2. परियोजना का स्वरूप और उद्देश्य :

2.1 परियोजना के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिंचाई हेतु पानी का सुनिश्चित एवं कारगर स्रोत विकसित किया जायेगा, जिसके लिए निम्नानुसार कार्य लिये जा सकेंगेः–

1. नवीन कुआं/ब्लास्ट वेल व्यवस्था
2. खेत तालाब (Farm Pond/Dugout Pond)
3. मैसेनरी चैक डेम/स्टाप डेम/(आर.एम.एस.)

4. लघु तालाब (Micro Tank)/बावली

वर्षा आधारित एवं सिंचाई सुविधा विहिन कृषि क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता अथवा कमी के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इन क्षेत्रों के कृषक अपने निजी भूमि में कृषि हेतु सिंचाई अवस्थापना सुविधाएं सृजित करने के इच्छुक हैं, परन्तु स्वयं के संसाधनों से इसे करने में सक्षम नहीं हैं। यदि उनकी कृषि भूमि पर सिंचाई हेतु पानी का कारगर एवं भरोसेमंद स्रोत उपलब्ध करा दिया जाये तो कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी तथा ऐसे कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार संभव है। इस परिप्रेक्ष्य में कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''सिंचाई समृद्धि'' परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

3. नरेगा के प्राविधानों से आच्छादन :

3.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची 1 के प्रस्तर 1(प) में लिये जाने वाले कार्यों में ''जल संरक्षण तथा जल संचय'' का प्रावधान है और प्रस्तर–2 में ''ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढ़ीकरण'' को योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। नरेगा हेतु यथासंशोधित जारी मार्ग निर्देशिका–2008 के प्रस्तर 6–1 के अनुमन्य कार्यों की सूची में यह भी प्राविधान किया गया है कि अनुसूचित जाति जन जाति वर्ग के परिवार, गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार, भूमि सुधार व इन्दिरा आवास के लाभार्थी की भूमि पर सिंचाई सुविधा विकसित की जा सकती है।

4. परियोजना के लाभार्थी :

4.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची–1 की संशोधित प्रस्तर–1 (IV) (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2007) में निम्न वर्ग के लाभार्थियों द्वारा धारित भूमि के भूमि विकास सिंचाई सुविधा सृजन का प्रावधान किया गया है :–

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवार

- भूमि सुधार (Land Reforms) के लाभार्थी
- इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी

5. लाभार्थी की चयन की प्रक्रिया :

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में निवासरत परिवारों का विश्लेषण कर पैरा – 4.1 में उल्लेखित वर्गों के उपयुक्त लाभार्थी परिवारों में से ऐसे लाभार्थी परिवार जो स्वयं के धारित भूमि पर उपरोक्त संरचनाओं का निर्माण कराना चाहते हैं, उनसे **संलग्नक –1** में दर्शाये गये प्रपत्र पर आवेदन प्राप्त करेगी। उपरोक्त कार्य व्यक्तिगत लाभार्थी अथवा सामूहिक रूप से किये जा सकते हैं। एक ही कृशक के खेत पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों तरह के कार्य नहीं लिये जा सकते। सामूहिक कार्य हेतु आवेदनपत्र संलग्नक–2 पर दिया जायेगा। सामूहिक कार्य लिये जाने की स्थिति में समूह के बीच एक समझौता पत्र भी बनाया जायेगा जिसमें जल के उपयोग एवं संरचना के रख–रखाव का स्पश्ट विवरण होगा। कार्य हेतु आवेदन पत्र प्रोग्राम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक व लाईन विभाग को सीधे भी दिया जा सकता है।

6. कार्य योजना/प्रोजेक्ट बनाने व स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया :

6.1 लाभार्थियों के चयन के उपरांत ग्राम पंचायत के प्रधान, पंचायत सचिव तथा अवर अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संस्तुति की गई भूमि के स्वामित्व तथा वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण के उपरांत तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा संरचना के डिजाईन व लागत का निर्धारण कर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। संरचना के स्थल व निर्धारित डिजाईन के संबंध में लाभार्थी की सहमति भी प्राप्त की जायेगी। संरचनाओं का लघु सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किया गया मानक प्राकलन संलग्नक–4 पर है।

6.2 उपरोक्त आधार पर तैयार प्राक्कलन तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग द्वारा **संलग्नक –3** पर दर्शाये गये प्रपत्र में लाभार्थी वार प्रस्तावित संरचना की डिजाईन व लागत का उल्लेख करते हुए तथा तैयार किये गये प्राक्कलन संलग्न कर

प्रस्तावित कार्यों के अनुमोदन हेतु अपनी संस्तुति के साथ ग्राम पंचायत को प्रेषित करेंगे।

6.3 उपरोक्तानुसार संस्तुति प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात ग्राम पंचायतवार तैयार कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्यों को ''शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट'' में शामिल किया जायेगा।

6.4 कार्य की स्वीकृतियां : परियोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– उत्तर प्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी। प्रशासकीय स्वीकृति लाभार्थी वार पृथक पृथक प्रदान की जायेगी। कुल लागत की रू. 2.00 लाख की सीमा तक की प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

7. फण्ड फ्लो का विवरण :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश–2008 के पैरा 8.3.2 के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का स्थानांतरण जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों को किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष लाभार्थी के खेतों पर कार्य कराएगी। लाभार्थी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं भी मजदूरी की जा सकती है। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खुले खाते के माध्यम से किया जायेगा।

8. सामग्री की व्यवस्था :

परियोजनांतर्गत वांछित सामग्री का क्रय एवं व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी।

9. तकनीकी पर्यवेक्षण :

9.1 परियोजना के तहत निर्माण हेतु यथा आवश्यक तकनीकी सहयोग लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

10. रिपोर्टिंग व अनुश्रवण की व्यवस्था :

10.1 परियोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा रख–रखाव तथा अन्य अभिलेखों के रख–रखाव के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– उत्तर प्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

10.2 कार्य के पूर्ण होने पर लाभार्थी से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव के साथ तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता के द्वारा कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया जायेगा। तदोपरांत कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर एवं एक प्रति विकास खण्ड में रखी जायगी।

10.3 उक्त परियोजना के अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तर पर उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) द्वारा कम से कम परियोजना के 10 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराया जायगा।

10.4 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखण्ड के कार्यों की षत–प्रतिशत निरीक्षण व अनुश्रवण कराया जायगा। योजना के कार्यो की प्रगति की जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित की जायेगी।

11. लाभार्थी के दायित्व व अधिकार :

11.1 लाभार्थी क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगा। लाभार्थी स्वयं के द्वारा धारित भूमि पर स्वयं भी कार्य कर सकेंगे। निर्मित संरचना के रख रखाव का दायित्व संबंधित लाभार्थी का होगा। अतः इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को स्पष्ट निर्देश कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही दे दिया जायगा।

12. **ग्राम पंचायत के दायित्व :**

ग्राम पंचायत अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। अन्य स्तरों से भी प्राप्त आवेदनों पर विचार कर चयनित लाभार्थियों द्वारा वांछित कार्य की कार्य योजना तैयार की जायेगी। तैयार कार्य योजना पर वांछित तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। ग्राम पंचायत परियोजनांतर्गत आवष्यक सामग्री का क्रय एवं व्यवस्था कराएगी। ग्राम पंचायत परियोजना से संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव तथा मस्टर रोल को नरेगा के एम.आई.एस. पर पोस्ट कराएगी।

13. क्षेत्र पंचायत के दायित्व :

ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्य योजना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पंचायत को अपनी संस्तुति/मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी। जिन परियोजनाओं पर ग्राम पंचायत की अनुमन्यता से अधिक धनराशि का कार्य निहित है उनका सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

14. संबंधित लाइन विभाग का दायित्व :

परियोजनांतर्गत लघु सिंचाई विभाग तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लाइन विभाग होगा। इनके द्वारा योजना के निर्माण तथा क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना के अंतर्गत सृजित संरचनाओं का इन्द्राज राजस्व अभिलेख (खसरा) में अवष्य कराया जाय।

कृपया उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या–2595(1)/38–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) आयुक्त, ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश , लखनऊ।
(16) प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।
(17) प्रमुख अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश ।
(18) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(19) निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(20) निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
(21) निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
(22) निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश।
(23) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(24) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

lyXud & 1

flpkb lef) ifj;ktuk d vrxr 0;fDrxr xfrfof/k gr vkonu

lok e]
i/kku@dk;lde vf/kdkjh@ftyk dk;lde leUo;d@ykbu foHkkx
xke ipk;r ----------
fodkl [k.M ----------
ftyk ----------

fo"k;% flpkb lef) ifj;ktuk d vrxr dk;l gr vkonuA

e flpkb lef) ifj;ktuk d vrxr viu [kr e flpkb lfo/kk miyC/k djoku gr ---------- dk;l ¼0;fDrxr xfrfof/k½ dk fuek.k djokuk pkgrk gA ejh Hkfe d [krkuh@[kljk@fdlku cgh dh ifrfyfi lyXu gA vU; vko';d fooj.k fuEuku lkj g %&

1- vkond dk uke % ----------
2- firk@ifr dk uke % ----------
3- xke ipk;r % ----------
4- /kkfjr dy Hkfe dk jdck % ---------- gDV;j
5- [kljk ucj % ---------- ftle mDr dk;l dk fuek.k iLrkfor gA
6- iLrkfor ljpuk dk vuekfur vkdkj

---

mijkDrku lkj dk;l dk fØ;kUo;u gku ij fufer gku okyh ljpuk dk j[k j[kko dk nkf;Ro ejk Lo;l dk gkxkA

ykHkkFkh dk gLrk{kj@
vxBk fu'kkuh

lyXud & 2

flpkb lef) ifj;ktuk d vrxr lkefgd xfrfof/k gr vkonu

lok e]
i/kku@dk;lde vf/kdkjh@ftyk dk;lde leUo;d@ykbu foHkkx
xke ipk;r ----------
fodkl [k.M ----------
ftyk ----------

fo"k;% flpkb lef) ifj;ktuk d vrxr dk;l gr vkonuA

flpkb lef) ifj;ktuk d vrxr ge vkond fuEuku lkj viu [krk e flpkb lfo/kk miyC/k djoku gr ---------- dk;l ¼lkefgd xfrfof/k½ dk fuek.k djokuk pkgr gA gekjh Hkfe d [kljk@[krkuh@fdlku cgh dh ifr lyXu gA vU; vko';d fooj.k fuEuku lkj g %&

1- vkond dk fooj.k %

Ø-	vkond d uke	firk@ifr dk uke	xke	/kkfjr Hkfe dk dy jdck ¼gDV;j e½

2- [kljk ucj % ---------- ftle mDr dk;l dk fuek.k iLrkfor gA

3- iLrkfor ljpuk dk vuekfur vkdkj

---

mijkDrku lkj dk;l dk fØ;kUo;u gku ij fufer gku oky ljpuk dk j[k j[kko dk nkf;Ro gekj }kjk xfBr mi;kxdrk ny dk gkxkA

ykHkkfFk;k d gLrk{kj@ vxBk
fu'kkuh

lsok esa]

iz/kku@dk;Zdze vf/kdkjh@ftyk dk;Zdze leUo;d@ykbu foHkkx
xzke iapk;r ---
fodkl [k.M ---
ftyk ---

fo"k;% flapkbZ le`f) ifj;kstuk ds vUrxZr ykHkkFkhZ@ykHkkfFk;ksa dk p;fur dk;Z o bl ds fuekZ.k LFky ds lac/k esa vuq'kalkA

&&&&&&&

flapkbZ le`f) ifj;kstuk ds vUrxZr ykHkkfFk;ksa }kjk izLrqr vkosnu ds vuqlkj eSu LFky dk ijh{k.k ykHkkFkhZ@ykHkkfFk;ksa ds le{k fnukad @ @ dks fd;kA ykHkkFkhZ@ykHkkfFk;ksa dh lgefr mijkUr fuEu fooj.k vuqlkj dk;Z ds vuqeksnu dh vuq'kalk dh tkrh gS %&

1- ykHkkFkhZ@ykHkkfFk;ksa dk fooj.k

Ø-	ykHkkFkhZ@ykHkkfFk;ksa ds uke	firk@ifr dk uke	xzke	/kkfjr Hkwfe dk dqy jdck ¼gsDVs;j esa½

2- dk;Z dk uke % ---
3- dk;Z dk Lo:i ¼O;fDrxr@lkefgd½ % --
4- [kljk uacj % ----------------------------- ftles mDr dk;Z dk fuekZ.k izLrkfor gSA
5- izLrkfor lajpuk dh fMtkbu o vkdkj

----

voj vfHk;Urk] y?kq flapkbZ] dk
iwjk uke rFkk gLrk{kj